

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक/10172 / छात्र/काउंसिलिंग/संचिषि/2024

रायपुर, दिनांक 05-11-2024

प्रवेश वर्ष – 2024 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन की सूचना

प्रवेश वर्ष – 2024 छत्तीसगढ़ के राज्य कोटे की चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) सीटों पर प्रवेश के लिये राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित NEET-PG-2024 द्वारा घोषित पात्र अभ्यर्थियों से निम्न समय-सारणी के अनुसार ऑनलाईन आवेदन शुल्क सहित आमंत्रित है। (आवेदन के पूर्व लागू छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2021 का अवलोकन अवश्य करें) :-

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	ऑनलाईन आवेदन शुल्क (Non Refundable)	राशि रु. 2,000/- (रु. दो हजार मात्र)
2	पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि - Security Deposit Money)	देखें पंजीयन राशि तालिका
3	ऑनलाईन आवेदन – प्रारंभ तिथि	दिनांक 06 नवम्बर 2024 समय (Server Time) 11.00 Hrs. (11:00 AM) से
4	ऑनलाईन आवेदन – अंतिम तिथि	दिनांक 11 नवम्बर 2024 समय (Server Time) 23.59 Hrs. (11:59 PM) तक
5	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (Choice Filling and Locking)	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग हेतु पृथक से समय-सारिणी जारी की जायेगी।

छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2021 संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.cgdme.in एवं एनआईसी की वेबसाईट www.cgdme.admissions.nic.in पर उपलब्ध है, काउंसिलिंग, आबंटन एवं प्रवेश संबंधित जानकारी हेतु वेबसाईट का नियमित अवलोकन वांछनीय है।

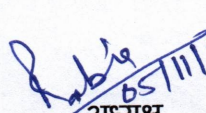
पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि) :-

यह राशि वापसी योग्य (Refundable) है, किन्तु द्वितीय काउंसिलिंग में पी.जी. सीट आबंटन उपरान्त प्रवेश नहीं लेते हैं अथवा प्रवेश लेकर सीट त्यागते हैं तो, यह राशि राजसात (Forfeit) कर ली जायेगी (संलग्न राजपत्र में देखें बिन्दु क्र० 11 की तालिका कॉलम 4 में उल्लेखित पंजीयन शुल्क “भारत का राजपत्र असाधारण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् नई दिल्ली का अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 2018 सं. भा.आ.प.-18(1)/2018-मेड./100818 ”)

पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि)		
श्रेणी	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीटों हेतु पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि)	निजी महाविद्यालय अथवा निजी महाविद्यालय + शासकीय महाविद्यालय हेतु पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि)
UR	25,000/- (रु. पच्चीस हजार मात्र)	2,00,000/- (रु. दो लाख मात्र)
SC/ST/OBC	12,500/- (रु. बाहर हजार पांच सौ मात्र)	2,00,000/- (रु. दो लाख मात्र)

- नोट :-
1. छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 एवं छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2021 का अवलोकन करें।
 2. यदि ऑन-लाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद Lock & Submit भी कर चुके हैं, तब भी ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन हेतु निशुल्क Reset करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी।
 3. ऑनलाईन आवेदन में कोई भी त्रुटि (जैसे :- अपूर्ण आवेदन/पंजीयन फीस का गेटवे (Bank Gateway) से जमा न होना इत्यादि) होने पर आप अपात्र हो जाते हैं। अतः ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से 24 घण्टे पूर्व कार्यवाही पूर्ण करना, एक सुरक्षित प्रक्रिया है।
 4. शुल्क जमा हेतु Internet Banking / Debit Cards & Credit Card, Options are available, उपलब्ध है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन शुल्क और पंजीकरण राशि (सुरक्षा निधि राशि) का भुगतान उम्मीदवारों के स्वयं के बैंक खाते या उनके माता-पिता/अभिभावक के बैंक खाते के माध्यम से करें। साथ ही, किसी भी आकस्मिक स्थिति के मामले में उन्हें एक वैकल्पिक बैंक खाता नंबर भी उपलब्ध कराना होगा। यदि अभ्यर्थी नियमानुसार रिफण्ड के लिए पात्र है, तो उस जमाकर्ता खाते में ही पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि राशि) का रिफण्ड किया जायेगा, जिस खाते से अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन शुल्क का भुगतान किया गया है।
 5. प्राथमिक बैंक खाते के साथ-साथ वैकल्पिक बैंक खाते को भी सक्रिय मोड में रखने की सलाह दी जाती है। यदि किसी अपरिहार्य एवं तकनीकी कारणों से प्राथमिक बैंक खाते में रिफंड नहीं होता है, तो पंजीकरण पोर्टल पर उम्मीदवार द्वारा उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक सक्रिय बैंक खाते में रिफंड किया जाएगा।
 6. ऑनलाईन आवेदन के दौरान, सेवारत् अभ्यर्थियों के लिए सेवा प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
 7. काउंसिलिंग की समस्त प्रक्रिया (पंजीयन राशि भुगतान, संस्था तथा विषय चयन, च्वाइस लॉकिंग, बोनस प्रतिशत इत्यादि) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं किया जाता है, इसलिए अपूर्ण अथवा गलत जानकारी प्रदाय करने की स्थिति में अगर अभ्यर्थी का पंजीयन अथवा आबंटन निरस्त किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केवल अभ्यर्थी की होगी एवं यह कार्यालय अथवा काउंसिलिंग समिति किसी भी तरह से जिम्मेदारी नहीं होगी।

(संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 609]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर 2021 — अग्रहायण 19, शक 1943

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 दिसम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-01/2018/नौ/55-4.— छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश अधिनियम, 2002 (क्रं 28 सन् 2002) की धारा 3 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-

- (एक) ये नियम छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 कहलायेंगे ।
- (दो) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।
- (तीन) यह नियम अल्पसंख्यक चिकित्सा महाविद्यालय को छोड़कर छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य सभी चिकित्सा महाविद्यालय में लागू होंगे ।

2. परिभाषाएँ — इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) “परीक्षा एजेंसी” अथवा “एजेंसी” से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिकृत एजेंसी (अभिकरण),
- (ख) “वास्तविक निवासी” से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी हो ।
- (ग) “श्रेणी” से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमीलेयर) श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी ।
- (घ) “संवर्ग” से अभिप्रेत है महिला संवर्ग या निःशक्तजन संवर्ग ।
- (ङ) “महाविद्यालय” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय ।

- (च) “परिषद” से अभिप्रेत है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली।
- (छ) “पाठ्यक्रम” से अभिप्रेत है स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि।
- (ज) “संचालक” से अभिप्रेत है संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन।
- (झ) “संचालनालय” से अभिप्रेत है संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन।
- (ञ) “प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है एजेंसी द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा।
- (ट) “सेवारत अभ्यर्थी” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधीन सेवारत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने परीक्षा वर्ष की 31 जनवरी को नियमित सेवा अथवा तदर्थ सेवा अथवा संविदा सेवा के तीन वर्ष पूर्ण कर लिया हो।
- (ठ) “बिना संवर्ग” से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी जो नियम-2 के उप-नियम (घ) में परिभाषित किसी भी संवर्ग के अंतर्गत नहीं आता हो।
- (ड) “निःशक्तजन” से अभिप्रेत है ऐसा निःशक्तजन/दिव्यांगजन जैसा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं भारतीय चिकित्सा परिषद के तत्समय लागू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम (पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एज्युकेशन रेगुलेशन) के अनुसार दिव्यांगजन/निःशक्तजन के रूप में आरक्षण का पात्र हो।
- (ढ) “राज्य शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन।
- (ण) “विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।
- (त) “अभ्यर्थी” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने इन नियमों के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया हो।
- (थ) “दस्तावेज” से अभिप्रेत है मूल दस्तावेज।
- (द) “अंतिम प्रवेश प्रक्रिया” से अभिप्रेत है अंतिम चरण की काउंसिलिंग उपरांत प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् रिक्त रह गई सीटों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सत्र हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि को अथवा उसके पूर्व की गई प्रक्रिया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा आबंटन स्थल पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
- (ध) “अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.)” से अभिप्रेत है, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी विधियों/नियमों/ अधिसूचनाओं/आदेशों में परिभाषित/घोषित किया गया हो।
- (न) “अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.) नियतांश” से अभिप्रेत है, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में अप्रवासी भारतीयों के प्रवेश हेतु निर्धारित 15 प्रतिशत सीटें।
- (प) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थी से अभिप्रेत है, ऐसा अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-13-5/2019/आ.प्र./1-3 अटल नगर, रायपुर दिनांक 29/05/2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रवेश वर्ष के 31 मार्च के आय गणना के पश्चात् जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाणपत्र धारित करता हो।

3. प्रवेश हेतु पात्रता :-

- (क) भारत का नागरिक हो।
- (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग से अनुमति प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्राप्त हो या ऐसा अभ्यर्थी, जिन्होंने विदेश से चिकित्सा स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो तथा स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन, 2002 परीक्षा विदेश स्नातक परीक्षा में पात्र हो।
- (ग) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्रवेश वर्ष के दिनांक तक इंटरमीडिएट पूर्ण की हो।
- (घ) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या राज्य आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत हो।
- (ङ) प्रवेश परीक्षा में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अथवा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त किये हो।

4. अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु पात्रता की अतिरिक्त शर्तें :-

- (क) अभ्यर्थी स्वयं अप्रवासी भारतीय हो अथवा अभ्यर्थी की पीढ़ी अथवा दो पीढ़ी पहले तक के रक्त संबंध रखने वाले अप्रवासी भारतीय द्वारा प्रायोजित किया जाये।
स्पष्टीकरण :- अप्रवासी भारतीय प्रायोजक अभ्यर्थी की पीढ़ी अथवा दो पीढ़ी पहले तक के रक्त संबंध रखने वाले पिता, माता, भाई, बहन, भाई बहन की संतान, चाचा, चाचा की संतान, मामा, मामा की संतान, मौसी, मौसी की संतान, बुआ, बुआ की संतान, नाना, नानी, दादा, दादी से रिश्ता। इस हेतु वंशावली वृक्ष प्रमाणपत्र जो कि तहसीलदार अथवा तहसीलदार से वरिष्ठ राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा।
- (ख) अप्रवासी भारतीय अभ्यर्थी को स्वयं का अथवा अप्रवासी भारतीय प्रायोजक का वर्तमान से लेकर कम से कम 181 दिन पूर्व तक का विदेश निवास का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- (ग) अप्रवासी भारतीय अभ्यर्थी को स्वयं का अथवा अप्रवासी भारतीय प्रायोजक का एन.आर. ई. बैंक खाता या विवरण प्रस्तुत करना होगा।

5. प्रवेश हेतु अपात्रता :-

- (एक) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने पूर्व में अखिल भारतीय/राज्य कोटे से प्रवेश उपरान्त सीट का परित्याग किया हो या अभ्यर्थी को निष्कासित किया गया हो तो, ऐसे अभ्यर्थी परित्याग/निष्कासन की तिथि से डिग्री हेतु आगामी 03 वर्ष तक तथा डिप्लोमा हेतु आगामी 02 वर्ष तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।
- (दो) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है, उन्हें उनके द्वारा पूर्ण किये गये पाठ्यक्रम के पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण करने की दिनांक से डिग्री हेतु आगामी 03 वर्ष तक तथा डिप्लोमा हेतु आगामी 02 वर्ष तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।
- (तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अखिल भारतीय कोटे से राज्य के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, वे राज्य कोटे की सीटों हेतु अपात्र होंगे।
- (चार) छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् अनिवार्य शासकीय सेवा हेतु निष्पादित बंधपत्र में उल्लेखित अवधि पूर्ण होने का छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अपात्र होंगे।

6. सीटों का आरक्षण :

- (एक) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये 30%, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति श्रेणी हेतु 02%, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिये 12% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग गैर-क्रीमीलेयर श्रेणी के लिये 14% आरक्षण होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (दो) प्रत्येक श्रेणी में महिला संवर्ग हेतु 30% क्षैतिज आरक्षण होगा।
- (तीन) प्रत्येक श्रेणी में निःशक्तजन संवर्ग हेतु 5% क्षैतिज आरक्षण होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य चिकित्सा मंडल द्वारा प्रवेश वर्ष में जारी दिव्यांग/निःशक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (चार) यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा अतिरिक्त सीटें सृजित की जाती हैं तो कुल सीटों में संस्थावार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण होगा।
- (पांच) प्रवेश वर्ष में उपलब्ध सीटों को उपरोक्तानुसार आरक्षण के आधार पर महाविद्यालय एवं विषयवार आबंटित किया जायेगा।

7. आरक्षित श्रेणी की रिक्त रह गई सीटों का अन्य श्रेणी में परिवर्तन :-

- (एक) विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने पर उन सीटों पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- (दो) किसी भी आरक्षित श्रेणी की शेष रह गई सीटों के लिये उस श्रेणी के अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्र.9 सन् 2012) के प्रावधानों के अनुसार श्रेणी परिवर्तन किया जायेगा।

8. आरक्षित श्रेणी के संवर्ग की रिक्त सीटों का परिवर्तन :- आरक्षित संवर्ग की रिक्त सीटों को उसी श्रेणी के बिना संवर्ग में परिवर्तित किया जायेगा।

9. सेवारत अभ्यर्थी को निम्नानुसार बोनस अंक दिये जायेंगे :-

- (क) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के 10 प्रतिशत अंक होगा।
- (ख) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के 03 प्रतिशत अंक होगा।
- (ग) प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक के अधिकतम 30 प्रतिशत अंक होंगे।
- (घ) किसी वर्ष की सेवा उपरोक्त (क) एवं (ख) में चिन्हित क्षेत्रों में संयुक्त रूप से पूर्ण होने की दशा में उस वर्ष को सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में सेवा का वर्ष मानकर बोनस अंक की गणना की जायेगी।

10. प्रावीण्य सूची :- प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में नियम (9) के अन्तर्गत प्राप्त बोनस अंकों को जोड़कर प्रावीण्य सूची बनायी जायेगी।**11. प्रवेश में वरियता :-**

- (क) राज्य कोटे में उपलब्ध सीटों पर सर्वप्रथम उन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने या तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. डिग्री प्राप्त की हो, अथवा जो सेवारत अभ्यर्थी हो।
- (ख) उपरोक्त उप-नियम (क) में उल्लेखित सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने के उपरान्त यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो, इन रिक्त सीटों पर, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. डिग्री की हो, परन्तु वे छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो।
- (ग) उपरोक्त उप-नियम (क) एवं (ख) में उल्लेखित सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने के उपरान्त यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो, इन रिक्त सीटों पर, शेष सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

12. छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों पर प्रवेश छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा निर्धारित काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से दिया जायेगा।**13. शुल्क :-** नियम (12) के तहत काउंसिलिंग प्रक्रिया में केवल वे अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया हो।**14. प्रवेश :-**

- (क) काउंसिलिंग प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों को यह विकल्प होगा कि वे उन्हें आबंटित सीट को स्वीकार करें अथवा आबंटित सीट को अस्वीकार कर, काउंसिलिंग के अगले चरण में सम्मिलित हो।
- (ख) उपरोक्त उप-नियम (क) के अंतर्गत यदि अभ्यर्थी द्वारा उसे आबंटित सीट स्वीकार की जाती है तो, अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक होगा। यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेता है तो, प्रवेश परीक्षा वर्ष में प्रवेश हेतु अपात्र हो जायेगा।
- (ग) प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश पात्रता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों की छानबीन (स्कूटनी) करानी होगी। छानबीन नहीं कराने की स्थिति अथवा छानबीन में अपात्र होने पर अथवा निर्धारित तिथि तक फीस जमा कर प्रवेश नहीं लेने पर, अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा वर्ष में प्रवेश हेतु अपात्र हो जायेगा।

15. छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत सेवा की अनिवार्यता : एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा सीटों के अन्तर्गत राज्य कोटे से अथवा अखिल भारतीय कोटे से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, कि वह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात, दो वर्षों की कालावधि तक छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्य करेगा। इस हेतु अनारक्षित अभ्यर्थियों को रु. 50 लाख एवं आरक्षित अभ्यर्थियों को रु. 40 लाख का बंध पत्र निष्पादित करना होगा।**16. मिथ्या जानकारी देना अथवा मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करना :-** यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी महाविद्यालय में मिथ्या जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रवेश लिया है, तो संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान किसी भी समय बिना किसी सूचना के उसका प्रवेश रद्द किया जा सकेगा एवं उसके विरुद्ध मिथ्या जानकारी देने अथवा मिथ्या दस्तावेज देने संबंधित विधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

17. प्रावीण्य सूची की समाप्ति एवं रिक्त सीटों का कालातीत होना : केन्द्र शासन या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रवेश हेतु समय-सारणी अनुसार प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त, प्रावीण्यता सूची समाप्त हो जायेगी एवं रिक्त सीटें कालातीत हो जायेगी।
18. प्रवेश प्रक्रिया में उद्भूत किसी भी विवाद या संदेह की स्थिति में संचालक चिकित्सा शिक्षा का निर्णय बंधनकारी होगा।
19. निरसन एवं व्यवृत्ति : छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा संबंधी पूर्व के समस्त नियम, एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव.

छत्तीसगढ़ शासन, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, रायपुर

छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2021

VShrill

चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विवरणिका 2021

(General Information of Online application & counselling procedure)

- 1.1 छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध चिकित्सा स्नातकोत्तर की कुल प्रवेश सीटों की संख्या का 50 प्रतिशत सीट संख्या संस्थावार अखिल भारतीय कोटा हेतु संस्थावार संस्था द्वारा प्रेषित किया जाता है तथा जिन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) हेतु नियमानुसार अतिरिक्त सीटें वृद्धि की गई हैं, उक्त संस्था में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु कुल प्रवेश सीटों की संख्या 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है।
- 1.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) No. 689 of 2017 के आदेश एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर दिनांक 03 जुलाई 2017 अधिसूचना क्रमांक एफ 21-10/2017/नौ/55-4 के अनुसार सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालय में कुल उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों का 15 प्रतिशत अप्रवासी भारतीय नियतांश में उपलब्ध कराया जाता है।
- 1.3 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1.1 एवं 1.2 के आरक्षण उपरान्त शेष सीटों पर छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2021 में उल्लेखित आरक्षण प्रतिशत अनुसार श्रेणीवार एवं संवर्गवार छत्तीसगढ़ आरक्षण दिया जाता है।
- 1.4 केन्द्र शासन/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित समय-सारणी अनुसार चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग प्रक्रिया की जाती है।

- 2.1 काउंसिलिंग संबंधित सभी सूचनाएँ वेबसाइट www.cgdmec.co.in में प्रदर्शित की जायेंगी। अतः सभी संबंधित उक्त वेबसाइट का नियमित अवलोकन करें।
- 2.2 सभी आवेदक चिकित्सा स्नातकोत्तर नियम 2021 को पढ़कर ही काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हो।
- 2.3 आवेदन एवं शुल्क :- प्रवेश वर्ष की NEET PG में श्रेणीवार न्यूनतम अर्हकारी अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों हेतु काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए केवल एक बार ऑनलाइन आवेदन, आवेदन शुल्क सहित उपलब्ध होगा। जिस हेतु ऑनलाइन आवेदन शुल्क भुगतान निम्न तालिकानुसार :-

क्रमांक	विवरण	आवेदन शुल्क (रुपये)
1.	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सीट हेतु	रु. 2000 /- (रुपये दो हजार)
2.	निजी चिकित्सा महाविद्यालय की सीट हेतु	
3.	अप्रवासी भारतीय (एन0आर0आई0) सीट हेतु	

ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया मात्र प्रथम काउंसिलिंग के पूर्व उपलब्ध होगी। काउंसिलिंग में भाग लेने के इच्छुक सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसिलिंग के समय ही ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। यद्यपि ऑनलाइन आवेदन पूर्ण किये हुये आवेदकों को संस्था चयन का अवसर द्वितीय काउंसिलिंग एवं मॉपअप राउण्ड के पूर्व उपलब्ध रहेगा।

- 2.4 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क रु. 2000 /- (रुपये दो हजार) का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा। प्रथम बार ऑनलाइन आवेदन में संस्था विषय का अंतिमिकरण (Save & Finish) हो जाने पर, आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व संशोधन शुल्क (Edit Fee) रुपये 2000 /- (रुपये दो हजार) ऑनलाइन जमा कर संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा। किन्तु ऑनलाइन आवेदन में ऐसी प्रविष्टियाँ (एनट्री) जो कि केन्द्र शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये परीक्षा

Noble

परिणाम डाटा से सीधे आती है, उन प्रविष्टियों सहित आवेदक का स्वयं प्रविष्ट किया गया मोबाईल नम्बर, ई-मेल पता अपरिवर्तनीय रहेंगे तथा प्रावीण्य सूची जारी होने के पश्चात् द्वितीय काउंसिलिंग एवं मॉपअप राउण्ड में संस्था चयन के उपलब्ध अवसर में अथवा संशोधन शुल्क जमा कर, केवल संस्था चयन के प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन कर सकेंगे अन्य किसी प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

- 2.5 भारत के राजपत्र भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिसूचना नई दिल्ली 05 अप्रैल 2018 सं.भा.आ.प. -18(1)/2018-मेड./100818 के अनुसार रजिस्ट्रेशन फीस शासकीय संस्था की सीटों हेतु रु0 पच्चीस हजार (आरक्षित श्रेणी हेतु रु0 बारह हजार पांच सौ) एवं निजी संस्था की सीटों हेतु रजिस्ट्रेशन फीस रु0 दो लाख लागू होगी तथा जो द्वितीय आबंटन पश्चात् प्रवेश नहीं लेने पर नियमानुसार राजसात कर ली जायेगी। (नोट : केन्द्र शासन द्वारा जारी निर्देश समयावधि में प्राप्त होने पर यथावत लागू होगी)
- 2.6 बिन्दु क्रमांक 2.3 के अनुसार आवेदकों में सेवारत अभ्यर्थी के बोनस अंक को जोड़कर प्रावीण्य सूची निर्मित की जायेगी तथा प्रावीण्य सूची एवं आवेदकों के संस्था चयन प्राथमिकता क्रम अनुरूप प्रावीण्यतानुसार ऑनलाईन आबंटन दिया जायेगा। (देखें : छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 – क्रमांक 10)
- 2.7 आबंटन में आबंटित अभ्यर्थी या तो, आबंटन स्वीकार कर (अर्थात् जिस अभ्यर्थी ने अपना आबंटन पत्र जनरेट कर लिया हो) प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। अन्यथा आबंटन पत्र जनरेट किये बिना आबंटित संस्था में प्रवेश नहीं लेने के विकल्प को चयन कर आगामी काउंसिलिंग चरण में सम्मिलित होगा। यदि आबंटित अभ्यर्थी आबंटन पत्र जनरेट कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है तो, ऐसा अभ्यर्थी आगामी काउंसिलिंग हेतु अपात्र हो जायेगा। (देखें : छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 – क्रमांक 14)
- 2.8 द्वितीय काउंसिलिंग आबंटन एवं मॉप-अप राउण्ड में पात्र अभ्यर्थियों को संस्था चयन का अवसर दिया जायेगा। जिस हेतु अभ्यर्थी नियमित राज्य की ऑनलाईन आवेदन हेतु वेबसाइट का अवलोकन करे, ताकि निर्धारित समय-सीमा में अपने संस्था चयन कर सकेंगे तथा संशोधन शुल्क (Edit Fee) रुपये 1000/- (रुपये एक हजार मात्र) ऑनलाईन जमा कर, अंतिम तिथि पूर्व संस्था चयन प्राथमिकता क्रम में संशोधन भी कर सकेंगे।
- द्वितीय काउंसिलिंग आबंटन के पश्चात् यदि कोई आबंटित अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो क्रमांक 2.5 के अनुसार जमा की गई राशि राजसात कर ली जायेगी। जिसकी सूचना वेबसाइट में प्रदर्शित की जायेगी।
- 2.9 उपरोक्तानुसार यदि मॉप-अप राउण्ड ऑनलाईन प्रक्रिया की जाती है तो जारी सूचना अनुसार स्कूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया आवेदक स्वयं उपस्थित होकर पूर्ण करेंगे अथवा मॉप-अप राउण्ड ऑफलाईन (प्रत्यक्ष प्रक्रिया) से किया जाता है तो, उक्त प्रक्रिया में आवेदक को स्वयं उपस्थित होना होगा। किसी भी तरह का प्राधिकार पत्र मान्य नहीं किया जा सकेगा। काउंसिलिंग के किसी भी चरण में उक्त चरण की अंतिम तिथि तक आबंटन पत्र जारी कर प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थी आगामी काउंसिलिंग के लिए अपात्र हो जायेंगे। (देखें : छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 – क्रमांक 14)
- 2.10 यदि किसी भी संवर्ग की सीट रिक्त होने पर प्रथमतः उसे उसी मूल श्रेणी की बिना संवर्ग की सीटों में परिवर्तित किया जायेगा। तद्-उपरान्त यदि श्रेणी में भी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी राजपत्र 2012 के अनुसार श्रेणी परिवर्तन किया जा सकेगा। (देखें : छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 – क्रमांक 7 एवं 8)
- 2.11 संवीक्षा में आवश्यक दस्तावेज सूची :- संवीक्षा (स्कूटनी) में केवल मूल दस्तावेजों की जांच की जाती है एवं जिस अभ्यर्थी को किसी विशेष आरक्षण का लाभ प्राप्त करना हो, वह उक्त दस्तावेज स्वयं प्रस्तुत करना, उसकी जिम्मेदारी होगी। कोई भी स्कूटनी अधिकारी नियम एवं दस्तावेजों के आधार पर, वांछित दस्तावेजों की कमी को पूर्ण नहीं किया जा सकता तथा स्कूटनी समिति को वांछित दस्तावेज के अभाव में, पात्र करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। (स्पष्टीकरण : जैसे किसी अभ्यर्थी का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है तथा उनके पिता छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय कर्मचारी है और अभ्यर्थी ने कक्षा 01 से 12वीं तक

Nishu

छत्तीसगढ़ राज्य में ही अध्ययन किया है, ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने से वास्तविक निवासी हेतु पात्र नहीं किया जा सकता है। अपितु अभ्यर्थी को वांछित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवासी का प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा।)

- i). नीट प्रवेश पत्र (NEET Admit Card)
- ii). नीट स्कोर कार्ड (NEET Score Card)
- iii). सभी एमबीबीएस (प्रथम, द्वितीय, तृतीय समस्त भाग) की अंक सूची इंटरनैशनल सहित।

अथवा

विश्वविद्यालय से जारी की गई एमबीबीएस डिग्री।

- iv). किसी भी राज्य मेडिकल कॉउंसिल का स्थायी पंजीयन। यदि छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल कॉउंसिल का स्थायी पंजीयन नहीं है तो, तीन माह में प्रस्तुत करना होगा।
- v). छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र। (यदि पात्रता हेतु आवश्यक हो तो)
- vi). छत्तीसगढ़ राज्य का अनुसूचित जनजाति श्रेणी/अनुसूचित जाति श्रेणी/अन्य पिछड़ा वर्ग गैरक्रीमिलेयर श्रेणी के लाभ हेतु "स्थायी जाति प्रमाण पत्र"। (यदि पात्रता हेतु आवश्यक हो तो)

अन्य पिछड़ा वर्ग गैरक्रीमिलेयर हेतु अभ्यर्थी को प्रवेश वर्ष के 31 मार्च को पूर्ण वित्तीय वर्ष सहित विगत तीन वर्ष का आय प्रमाण पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 9-3/2001/आ.प्र./1-3 नया रायपुर, दिनांक 19.09.2013 पेज क्रमांक 09 बिन्दु 6 एवं क्रमांक एफ 13-6/2013/आ.प्र./1-3 नया रायपुर, दिनांक 15.11.2017) वर्तमान में वार्षिक आय आठ लाख से कम गैरक्रीमिलेयर में प्रभावी है। यह राशि लगातार तीन वर्षों में कभी भी 08 लाख से कम आय होने पर अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग गैरक्रीमिलेयर श्रेणी में पात्र होगा (आय सीमा केन्द्र शासन / राज्य शासन के द्वारा जारी समय-समय पर निर्देश एवं आदेश लागू होंगे)।

अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी की लागू आय सीमा से ज्यादा आय है किन्तु शासन के नियमानुसार किसी प्रकार की छूट या रियायत का पात्र है तो, उस छूट रियायत प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को सक्षम कार्यालय अथवा आयोग से छूट बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसे प्रवेश की निर्धारित समय-सीमा के अन्दर प्रस्तुत करने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

- vii). दिव्यांगजन अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रवेश वर्ष में जारी दिव्यांग/ निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (यदि पात्रता हेतु आवश्यक हो तो)
- viii). आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWSs) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रवेश वर्ष के 31 मार्च के आय गणना के पश्चात् जारी 01 अप्रैल अथवा उसके बाद का जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ix). छत्तीसगढ़ राज्य का सेवारत अभ्यर्थी हेतु वांछित सेवा प्रमाण पत्र। (यदि पात्रता हेतु आवश्यक हो तो)
- x). विश्वविद्यालय परिवर्तन होने पर प्रव्रजन (Migration) प्रमाण पत्र, तीन माह में प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र न होने पर तत्संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करें। (यदि प्रव्रजन (Migration) प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेशार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो, इस कृत्य की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी)
- xi). मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र। (जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी / चिकित्सा महाविद्यालय के द्वारा जारी)
- xii). पाठ्यक्रम उपरान्त राज्य शासन के अधीन सेवा बाबत बंध पत्र।
- xiii). पाठ्यक्रम की सीट त्यागने पर लागू बॉण्ड राशि बाबत बंध पत्र।
- xiv). सभी दस्तावेजों का दो फोटो कॉपी सेट।
- xv). आधार कार्ड/अन्य मान्य फोटो परिचय पत्र (जैसे : ड्रायविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/मतदाता परिचय पत्र)
- xvi). पासपोर्ट साईज कलर अथवा ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटो 03 प्रति, जो कि एक ही निगेटिव से बनी हो।
- xvii). लागू शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क।
- xviii). एन0आर0आई0संबंधित दस्तावेज हेतु छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 का अवलोकन करें।

नोट:- स्कूटनी की प्रक्रिया में स्कूटनी अधिकारी आवश्यक मूल दस्तावेजों की स्कूटनी करते हैं किसी नियम के तहत किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता तय नहीं करते हैं। अपनी पात्रता हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने की पूर्णतः जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होती है।

2.12 सभी पी0जी0 प्रवेशित मेडिकल छात्रों को छत्तीसगढ़ राज्य की छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

प्रवेश उपरान्त एक माह की समय सीमा अंतर्गत छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा वांछित शुल्क जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।



- 2.13 महाविद्यालय में प्रवेश के दिनांक से डिग्री हेतु तीन वर्ष तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु दो वर्ष की कालावधि के लिए पूर्णकालिक होंगे। अभ्यर्थी को सम्पूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रेक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा अमान्य होगी।
- 2.14 छात्रों को शैक्षणिक सत्र की कालावधि में प्रति वर्ष 15 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं संस्था प्रमुख की अनुमति से कॉन्फ्रेंस/वर्कशॉप हेतु अधिकतम 10 दिवस प्रति शैक्षणिक वर्ष के विशेष अवकाश की पात्रता होगी।

टीप :-

1. यह अवकाश नियम सेवारत अभ्यर्थियों के लिये भी लागू होंगे।
 2. अवकाश की निर्धारित सीमा (15 दिवस) से अधिक दिनों की अनुपस्थिति की स्थिति में, अनुपस्थित दिवस अवैतनिक अवकाश के खाते में विकलनीय होंगे, जिसकी अधिकतम सीमा 15 दिवस प्रति शैक्षणिक सत्र होगा।
 3. प्रसूति अवकाश :- छत्तीसगढ़ शासन के लागू नियमानुसार प्रसूति अवकाश अवधि हेतु पात्र होंगे। प्रसूति अवकाश की अवधि के बराबर की अवधि का प्रशिक्षण अतिरिक्त रूप से प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु यदि पूर्व में प्रसूति अवकाश में स्टापपण्ड का भुगतान किया जा चुका तो इस अवधि के लिये कोई स्टापपण्ड अथवा वेतन आदि देय नहीं होगा।
- 2.15 चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के नियमित अभ्यर्थी यदि अनाधिकृत रूप से लगातार 30 दिवस या उससे अधिक अनुपस्थित रहते हैं तो संस्था प्रमुख अधिष्ठाता द्वारा पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जा सकेगा।

सेवारत अभ्यर्थियों को उपरोक्त उल्लेखित अवधि में अनाधिकृत अवकाश उपरान्त पाठ्यक्रम निष्कासन सहित छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित नियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

निष्कासित अभ्यर्थियों को नियमानुसार बंध पत्र की राशि का भुगतान भी किया जाना होगा।

- 2.16 पाठ्यक्रम पूर्ण करने उपरान्त विभाग में वापसी – पीजी डिग्री पाठ्यक्रम के लिए सामान्य अवधि 36 माह एवं पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये 24 माह है पाठ्यक्रम/अध्ययन अवधि पूर्ण करने वाले सेवारत अभ्यर्थी को परीक्षा में उनकी प्रास्थिति पर विचार किए बिना पैतृक विभाग में वापस जाना होगा, भले ही वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हो अथवा नहीं। किसी भी परिस्थिति में अध्ययन जारी रखने का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जाएगा।


 संचालक चिकित्सा शिक्षा
 छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हेतु प्रारूप
(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित प्रारूप प्रभावी होगा)

क्रमांक दिनांक.....
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी.....
.....निवासी.....तहसील..... जिला
.....छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी है, क्योंकि : वह निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक शर्त की पूर्ति करता है :

1. वह (व्यक्ति) छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।
2. (क) वह (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई -

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक (गार्जियन) छत्तीसगढ़ में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है ।

3. उसके पालकों में से कोई भी -
- (क) राज्ये शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत है,

4. (क) वह स्वयं (व्यक्ति)

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं ।
उपरोक्त शर्त के पूर्ति होने के बाद, व्यक्ति, नीचे दिये गये कम से कम एक शर्त की पूर्ति भी करेगा :

5. उसने छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित मध्य-प्रदेश के जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित है, में कम से कम 3 वर्ष तक अपनी शिक्षा प्राप्त की है ।
6. उसने छत्तीसगढ़ के किसी भी शिक्षण संस्था से निम्न लिखित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों, अर्थात :-
- (क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक या उससे उच्चतर उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 8वीं कक्षा की परीक्षा ।
- (ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या किसी शासकीय संगठन में सेवा के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडियट हायर सेकेंडरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो, तो आठवीं कक्षा की परीक्षा ।
- (ग) अन्य मामलों में पांचवीं कक्षा की परीक्षा ।

Nashid

7. अन्य सभी मामलों के लिये उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित में से किसी श्रेणी के व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी होंगे:
- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को नियुक्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।
 - (ख) छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों की पत्नी/पति अथवा संतान।
 - (ग) छत्तीसगढ़ राज्य में संवैधानिक या अन्य विधिक पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पत्नी/पति अथवा संतान।
 - (घ) छत्तीसगढ़ राज्य के अधीन स्थापित संस्थाओं या निगम या मंडल या आयोग में पदस्थ पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी, उनकी पत्नी/पति अथवा संतान।

ऐसे बाबत जो उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार वास्तविक निवासी हैं, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी, छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी माने जायेंगे।

प्राधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर

पदनाम एवं सील

Nishu

प्रारूप
राज्य मेडिकल बोर्ड प्रमाण-पत्र
(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित प्रारूप प्रभावी होगा)

छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल बोर्ड
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़
फोन नं.-0771-2234451, E-mail : cgdme@rediffmail-com

क्रमांक /

/संचिशि /

रायपुर, दिनांक /

प्रमाण पत्र

दो पासपोर्ट
साईज
फोटोग्राफ

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री पिता- श्री
उम्र-.....वर्ष (सत्यापित फोटोग्राफ) के आवेदन दिनांक.....के साथ संलग्न जिला/संभागीय
मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र क्रमांक....., दिनांक.....के परीक्षण एवं आवेदक के पूर्ण परीक्षण
उपरांत उनकी स्थाई शारीरिक निःशक्ततापाई गई। उनकी कुल स्थाई निःशक्तता
प्रतिशत है।

पहचान का निशान-

(भारत का राजपत्र असाधारण असाधारण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् संशोधन अधिसूचना नई दिल्ली,
13 मई, 2019 सं.भा.आ.प.-34(41) /2019-मेड/112862 वर्तमान में लागू समय-समय पर जारी संशोधन भी मान्य होंगे।)

आवेदक मेडिकल / डेंटल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पाया गया।

(अध्यक्ष)
राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य)
राज्य मेडिकल बोर्ड

(सदस्य)
राज्य मेडिकल बोर्ड

Nishu

छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाण-पत्र का प्रारूप "अ"

(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित प्रारूप प्रभावी होगा)

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

सेवा प्रमाण-पत्र

अद्यतन पासपोर्ट
साइज का
संचालक द्वारा
अभिप्रमाणित
रंगीन फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ पिता/पति
ने दिनांक से दिनांक की अवधि में कुल वर्ष माह तक
चिकित्सक/शिक्षक के रूप में इस संचालनालय के अधीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
(दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र) में निर्बाध सेवा प्रदान की है ।

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को जिनका नीट प्राप्तांक है को, प्राप्तांक
का लागू बोनस प्रतिशत % के, बोनस अंक (शब्दों में).....
..... है तथा अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित सेवांक की
पात्रता है ।

नोट : "सेवारत अभ्यर्थी" वे ही पात्र होंगे जिन्होंने संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अधीन सेवारत कर्मचारी
जिन्होंने ने परीक्षा वर्ष के 31 जनवरी को छ.ग. राज्य की शासकीय सेवा तदर्थ/संविदा/नियमित कें
3 वर्ष पूर्ण कर ली हो, ऐसे सेवारत अभ्यर्थी ही बोनस अंक हेतु पात्र होंगे ।

संचालक
चिकित्सा शिक्षा


छत्तीसगढ़ शासन के अधीन सेवा करने के प्रमाण-पत्र का प्रारूप "ब"

(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित प्रारूप प्रभावी होगा)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सेवा प्रमाण-पत्र

अद्यतन पासपोर्ट
साइज का
संचालक द्वारा
अभिप्रमाणित
रंगीन फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ पिता/पति ने
दिनांक से दिनांक की अवधि में कुल वर्ष
..... माह तक चिकित्सक के रूप में इस संचालनालय के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न क्षेत्रों में निर्बाध
सेवा प्रदान की है।

- (क) विकासखंड जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र) वर्ष माह
- (ख) विकासखंड जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र) वर्ष माह
- (ग) विकासखंड जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र) वर्ष माह
- (घ) विकासखंड जिला (दुर्गम अनुसूचित क्षेत्र/सामान्य अनुसूचित क्षेत्र/गैर अनुसूचित क्षेत्र) वर्ष माह

उपरोक्तानुसार सेवा के लिये अभ्यर्थी को जिनका नीट प्राप्तांक है को, प्राप्तांक
का लागू बोनस प्रतिशत % के, बोनस अंक (शब्दों में)
..... है तथा अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लेखित सेवांक की
पात्रता है।

नोट : "सेवारत अभ्यर्थी" वे ही पात्र होंगे जिन्होंने संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अधीन सेवारत कर्मचारी
जिन्होंने ने परीक्षा वर्ष के 31 जनवरी को छ.ग. राज्य की शासकीय सेवा तदर्थ/संविदा/नियमित के
3 वर्ष पूर्ण कर ली हो, ऐसे सेवारत अभ्यर्थी ही बोनस अंक हेतु पात्र होंगे।



संचालक
स्वास्थ्य सेवायें

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प - पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

(राज्य कोटे से छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य-शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्धत पत्र (बाण्ड) का प्रारूप)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी.....
छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ। मेरा चयन एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है।
2. यह कि मुझे वर्ष में आयोजित "NEET" प्रवेश परीक्षा से शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयमें शैक्षणिक सत्र में सीट आबंटित की गई है।
3. यह कि वर्ष की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक.....रायपुर दिनांक छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को पढ़कर भली-भाँति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना के कंडिका जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारी दी गई है, जिसे मैंने भली-भाँति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ।
4. मैं एतद् द्वारा बन्धन पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता/करती हूँ, कि मैं एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा/करूंगी।
5. यह कि इस बन्ध पत्र का उल्लंघन होने की दशा में शासन को अधिकार होगा कि मेरी चल व अचल संपत्ति से अथवा इस बन्ध पत्र में मेरे प्रतिभूति के रूप में हस्ताक्षरकर्ता श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....निवासी.....की चल व अचल संपत्ति (संपत्ति का सम्पूर्ण विवरण) से इस बन्ध पत्र की राशि रुपयेशब्दों में (रुपए.....) कि वसूली व साथ ही पाठ्यक्रम अवधि के दौरान शासन द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति की सम्पूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी।
6. जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।
7. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातकोत्तर योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा।

Ksh

8. एमडी/एमएस/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के बारह माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते हैं तो यह बन्धापत्र स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
9. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

गवाह : —

हस्ताक्षर

1.....हस्ताक्षर

आवेदक / निष्पादनकर्ता

2.....हस्ताक्षर

आवेदक का फोटो	प्रतिभूतिकर्ता का फोटो	गवाह नं. 1 का फोटो	गवाह नं. 2 का फोटो
आवेदक	प्रतिभूतिकर्ता	गवाह 01	गवाह 02

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....निवासी

उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लघन की दशा में बन्ध पत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता (बिन्दु क्रमांक 05)

Veshtare

(सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)

(250/- के नानज्युडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)
छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी.....
छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।

1. मैंने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक
.....: "छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम –" को भली-भांति पढ़कर समझ लिया है।
2. मैं राज्य कोटे/अखिल भारतीय कोटे के अनारक्षित श्रेणी/आरक्षित श्रेणी का छात्र हूँ।
3. मैं एतद् द्वारा यह शपथ पत्र निम्नतः शर्तों पर निष्पादित करता हूँ कि :-
 - (क) छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 के कंडिका क्रमांक 15 के अनुसार यदि मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में दो वर्ष की आवश्यक सेवा नहीं की जाती है तो, अनारक्षित श्रेणी हेतु रु. 50 लाख/आरक्षित श्रेणी हेतु 40 लाख तथा प्रशिक्षण के दौरान आहरित की गई स्टाफपण्ड की राशि सहित (अद्यतन स्थिति में गणना की गई) शासन को मेरे द्वारा देय होगी।
 - (ख) मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि पाठ्यक्रम अवधि के दौरान यदि मुझ पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा मुझे महाविद्यालय से निष्कासित किया जाता है तो भी उपरोक्त कंडिका में वर्णित राशि शासन को मेरे द्वारा देय होगी।
 - (ग) उक्त राशि के भुगतान करने के पश्चात् ही मेरे द्वारा प्रवेश के समय महाविद्यालय प्रशासन में जमा किये गए मूल प्रमाण पत्र मुझे वापस प्रदाय किये जायेंगे।
 - (घ) यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

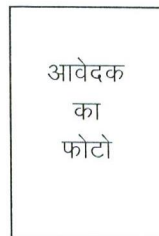
गवाह : -

हस्ताक्षर

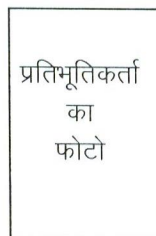
1.....हस्ताक्षर

आवेदक/ निष्पादनकर्ता

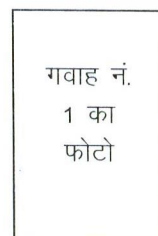
2..... हस्ताक्षर



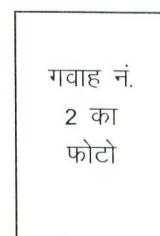
आवेदक



प्रतिभूतिकर्ता



गवाह 01



गवाह 02

प्रतिभूतिकर्ता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी
उपरोक्तानुसार बन्ध पत्र के लिए प्रतिभूति तथा बन्ध पत्र के उल्लंघन की दशा में बन्ध पत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर
प्रतिभूतिकर्ता

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थायी जाति प्रमाण पत्र।

अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी की लागू आय सीमा से ज्यादा आय है किन्तु शासन के नियमानुसार किसी प्रकार की छूट या रियायत का पात्र है तो, उस छूट रियायत प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को सक्षम कार्यालय अथवा आयोग से छूट बाबत प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में) प्रस्तुत करना होगा।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में **EWS** प्रमाण पत्र।

Neshu

**INFORMATION
BULLETIN FOR
COUNSELLING OF
CHHATTISGARH STATE
PG MEDICAL (MD/MS)
SEATS - Admission Year 2024**

CG DME 2024

GENERAL INFORMATION

Qualified and eligible candidates are required to register on the CGDME counselling website i.e. www.cgdme.admissions.nic.in to participate in the counselling process for allotment of seats. CGDME does not allot any seat either on nomination basis or manually.

a) Candidates are deemed to have read, agreed and accepted the Scheme of Counselling and the terms and conditions of the Counselling scheme for NEET-PG Counselling on completing the online submission of application/registration form.

b) Application for NEET – PG Counselling can only be submitted online through CGDME counselling website www.cgdme.admissions.nic.in. Application submitted through any other mode shall not be entertained.

c) Candidates are further advised to fill the application form on their own on the CGDME counselling website and not through any agent or third party.

d) A candidate can submit NEET-PGCounselling application/registration form only once. Any candidate found to have submitted more than one application/registration form for NEET-PG Counselling shall be debarred from NEET-PG Counselling allotment process, his/her candidature shall be cancelled and further action as deemed appropriate by the CGDME or Chhattisgarh Government shall be taken.

e) The Security Deposit will be forfeited if a candidate who has been allotted a seat in the Second Round or subsequent rounds and does not join the respective institution. Also, the Security Deposit will be forfeited if the admission

gets cancelled due to any reason. For example, in case the candidate gives wrong information at the time of registration on the basis of which a seat may be allotted and later cancelled by the Admission Authorities at the time of reporting or fails to produce the required documents at the time of scrutiny/ admission (within stipulated time).

f) Candidates may kindly note that registering for NEET-PG Counselling does not confer any automatic rights to secure a Postgraduate seat. The selection and admission to Postgraduate seats in a Medical Institution recognized for running Post-Graduate courses as per Indian Medical Council Act, 1956 is subject to fulfilling the merit, admission criteria, eligibility, and such criteria as may be prescribed by Medical Institutions, Medical Council of India/ National Medical Commission, Central Government and State Government.

g) Candidates should ensure that all the information filled during the online submission of application/registration form is correct and factual. Information provided by the candidates in the online application/registration form shall be treated as correct and self-certified and CGDME shall not entertain, under any circumstances, any request for change in the information provided by the candidates.

h) CGDME does not change/ edit /modify/alter any information (name, DoB, category, nationality, contact details etc.) entered by the candidates at the time of online submission of application/registration form for Counselling under any circumstances. The data entered by the candidate at the time of registration on NTA portal will be pre-populated and will be used for Counselling purposes.

- i) Candidates are advised to confirm their Eligibility/Domicile status before registering on CGDME website for all seats of Government Medical Colleges and Private Medical Colleges before opting for their seats.
- j) Candidates are advised to confirm the fee structure/ any other additional fee from the colleges especially Private Medical Colleges. The above information must be confirmed by the candidate before filling the choices.
- k) Candidates are advised to be in touch with the CGDME counselling website (www.cgdme.admissions.nic.in) for Schedule / latest updates / Results / Notices / News & Events pertaining to Counselling as CGDME will not be individually contacting the candidates for the same.
- l) No communication will be directly sent to the Candidate(s). They are advised to be in touch with the website on a regular basis for any updates.
- m) Court cases w.r.t. Counselling must be in the Hon'ble High Court Bilaspur jurisdictions area only.
- n) All admissions and resignations (if allowed) will be made through online mode only, no offline resignation of seat is permitted. Candidates must download the allotment letter from the CGDME counselling website. **Once the Allotment letter is generated, it will be compulsory to take the admission. Failure to which will make the candidate ineligible for further counselling. Candidate may choose to reject the allotment and do not generate the allotment letter.**
(छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2021– क्रमांक 14)

o) The security amount will be refunded (if any) to the same account from where the security amount was initially deposited by the candidate. However candidates are advised to provide an alternate account number on the registration portal.

p) Candidates are informed that they can fill/update e-mail Address and Mobile Number entries in the registration form as per their liking and OTPs will reach at the respective email IDs and Mobile numbers only.

q) Candidates are advised to use Laptop or Computer along with the latest registered version of Chrome/Internet Explorer/Firefox/Windows/IOS during the Registration and Choice-Filling process to avoid any technical complications.

Candidates are advised to download SANDES app for OTP on your registered phone number for registration. This Might be useful for places where the network of registered mobile number is either not available or poor thus rendering the delivery of text messages difficult.

Please Note:

- 1. All the documents regarding Category (Caste certificate), EWS certificate, Class (PwBD), MBBS Marksheets/ Degree, Internship Completion Certificate, Registration & Documents for verifying OBC Non creamy layer status, Domicile, Class 12th marksheet and other documents ascertaining the eligibility of the candidate must be dated before last date of the first scrutiny of the candidate. Once failed in the scrutiny of the documents, candidate will be ineligible for any further round of counselling.**

2. Certificate ascertaining the disability of the candidate and eligibility for for Medical seats under PwBD quota must essentially be made by State Medical board only. No candidate producing district/any other medical board disability certificate will be entitled for seat under PwBD class.

ROUND-1

- a) Main counselling Registration which will include payment of Non-Refundable application fee and Refundable Security Deposit (to be refunded in the account from which payment has been made and only if candidate is found eligible for refund of security deposit) However In case of any failure of payment or any such situation, It may be deposited in an alternate account number provided by the candidate at the time of application submission.
- b) Exercising of Choices and Locking of choices.
- c) Process of Seat Allotment Round-1
- d) Publication of result of Round-1 on CGDME counselling website
- e) **Candidates who have been allotted a seat in round-1 can Accept or Reject the seat as per Chhattisgarh Snatakottar Pravesh Niyam 2021 Rule 14.**
- f) If a candidate **Accepts** the allotted seat by generating the allotment letter then he/she has to take admission after scrutiny in the allotted institute.
- g) **Once the Allotment letter is generated, it will be compulsory to take the admission. Failure to which will make the candidate ineligible for further counselling. Candidate may choose to reject the allotment and do not generate the allotment letter. (छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2021— क्रमांक 14)**

- a) If candidate Rejects the allotted seat then he/she will be eligible for further round of counselling for which he/she has to perform Choice Filling.
- b) Candidates who generate the allotment letter will have to appear for Reporting at the Scrutiny and Admission centre for the Allotted Medical College for Scrutiny and Admission.
- i) A candidate who has been allotted an Institute and unable to get his/her documents scrutinized by the Scrutiny committee or found unsuccessful will be ineligible for any further round of counseling.

ROUND-2

- a) Exercising fresh choices
- b) Publication of result of Round-2 on CGDME counseling website.
- c) **Candidates who have been allotted a seat in round-2 can Accept or Reject the seat as per Chhattisgarh Snatakottar Pravesh Niyam 2021 Rule 1**
- d) If candidate **Rejects** the allotted seat then he/she has to perform Choice Filling and will be eligible for Mop-up round of counselling. But **there will be forfeiture of security fees if a candidate is allotted an institute in round-2 (Govt. or Private Medical colleges) and he/she does not take admission.**
- e) **Once the Allotment letter is generated, it will be compulsory to take the admission. Failure to which will make the candidate ineligible for further counselling. Candidate may choose to reject the allotment and do not generate the allotment letter. (छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम 2021 – क्रमांक 14)**

- f) If a candidate **Accepts** the allotted seat then he/she has to take admission after scrutiny in the allotted institute and he will be **ineligible for further counselling as per The Gazette of India Extraordinary Medical council of India Notification No. MCI-18(1)/2018-Med/100818. “ Postgraduate Medical Education Regulations, 2000” Regulation number 11**
- g) Reporting at the Scrutiny and Admission centre for the Allotted Medical College for Scrutiny and Admissssion.

MOP –UP ROUND

Eligible candidates for Mop-UP Round

1. All registered candidates who have not been allotted any seat after the end of Round 2 and thus not admitted in any institute.
2. All candidates who have exercised REJECT option after allotment in Round 1 & Round 2 of Counselling and given Choice Filling for Mop-up Round.

Process of Mop up round:

- i. Fresh choice filling for Mop Up Round.
- ii. Publication of result of Mop Up Round on CGDME counselling website.
- iii. Download/Generate the Allotment Letter by the candidates from the online portal.
- iv. Reporting at the Scrutiny and Admission centre for the Allotted Medical College for Scrutiny and Admission.

- v. Candidate who has been allotted a seat in Mop-up Round will be **ineligible for further counselling as per The Gazette of India Extraordinary Medical council of India Notification No. MCI-18(1)/2018-Med/100818. “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000” Regulation number 11.**

STRAY VACANCY ROUND

Eligible candidates for Stray Vacancy Round

1. All registered candidates who have not been allotted any seat in any previous rounds and thus not admitted in any institute.
2. State Stray Vacancy Round will be conducted by CGDME in online mode in compliance to National Medical Commission directions.

Process of Stray Vacancy Round:

- i There will be No Fresh Registration of Candidates in Stray Vacancy Round.
- ii Fresh choice filling for Stray Vacancy Round.
- iii Publication of result of Stray Vacancy Round on CGDME counselling website.
- iv Download / Generate the Allotment Letter by the candidates from the online portal.
- v Reporting at the Scrutiny and Admission Centre for the Allotted Medical College for Scrutiny and Admission.

Seat leaving bond will be applicable for all candidates after the stipulated last date of admission as per **परिशिष्ट – छै (छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश विवरणिका 2021)**.

All the orders, notices and circulars released from time to time during the counselling process by Honorable Supreme Court of India or Honourable High Court of Chhattisgarh, Government of India and State Government will be complied.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2017 — आपाद 16, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-10/2017/नौ/55-4. — राज्य शासन एतद्वारा राज्य निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में अप्रवासी भारतीय नियतांश के संदर्भ में पी. ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 6 एससीसी 537 के प्रकरण में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, जिसमें निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों (पीपीसी) में अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु विहित नियमों को अनिवार्य किया गया है, के अनुपालन में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार :- (1) ये नियम निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों में अप्रवासी भारतीय नियतांश नियम, 2017 कहलायेंगे.
(2) ये नियम 04-07-2017 से प्रवृत्त होंगे.
(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- प्रयोज्यता :- ये नियम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अनुमति के पश्चात् खोले गये समस्त निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों (पीपीसी) पर लागू होंगे.
- परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) “अप्रवासी भारतीय (संक्षेप में एन.आर.आई.)” का वही अर्थ होगा जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी विधियों/नियमों/अधिसूचनाओं/आदेशों में परिभाषित/घोषित किया गया है.
(ख) “निजी व्यावसायिक महाविद्यालय (संक्षेप में पी.पी.सी.)” से अभिप्रेत है चिकित्सा/दंत/निर्सिंग/फिजियोथेरेपी या जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसका संचालन निजी प्रबंधन/कंपनी/न्यास/निकाय द्वारा किया जाता हो तथा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर से संबद्ध हो.
(ग) “आरक्षण नीति” से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं हेतु समय-समय पर राज्य सरकार की आरक्षण नीति.

4. अप्रवासी भारतीयों का निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों (पी.पी.सी.) में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान.—

- (1) प्रत्येक निजी व्यावसायिक महाविद्यालय (पी.पी.सी.), कुल सीटों के 15% सीटों को अप्रवासी भारतीयों (एन. आर. आई.) द्वारा एन. आर. आई. श्रेणी के बीच से उनके मेरिट के आधार पर भर सकेगा।
- (2) गणना के पश्चात् अपूर्णाक को संबंधित निजी व्यावसायिक महाविद्यालय (पी.पी.सी.) के पक्ष में अगले उच्चतर अंक को पूर्णांकित किया जायेगा।
- (3) एन. आर. आई. श्रेणी से प्रवेशित विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना होगा।
- (4) प्रत्येक निजी व्यावसायिक महाविद्यालय (पी.पी.सी.), इस आशय की अग्रिम सूचना वेबसाइट एवं अन्य लोकप्रिय साधनों के माध्यम से घोषित करेगा।
- (5) राज्य की आरक्षण नीति भी लागू होगी।
- (6) प्रत्येक निजी व्यावसायिक महाविद्यालय (पी.पी.सी.), प्रवेश की अंतिम तिथि के 10 दिवस के पूर्व एन. आर. आई. नियतांश में विद्यार्थियों को प्रवेश देगा जो कि एन. आर. आई. श्रेणी हेतु अंतिम तिथि होगी। इस अंतिम तिथि के पश्चात् सीटों को रिक्त घोषित किया जायेगा और मुक्त श्रेणी के रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

5. कठिनाइयों का निराकरण.— इन नियमों के निष्पादन में कोई कठिनाई उद्भूत होने की दशा में, मामले को संचालक, चिकित्सा शिक्षा को निर्दिष्ट किया जायेगा जो छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के अनुमोदन के पश्चात् प्रकरण का निर्णय करेगा। संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा (डी. एम. ई.) का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 21-10/2017/नौ/55-4.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग को समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3-7-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 3rd July 2017

No. F-21-10/2017/Nine/55-4. — The State Government hereby makes the following Rules for the admission into Government and Private Nursing College of the State :-

NOTIFICATION

In pursuance of the order of the Hon'ble Supreme court of India in the case of P.A. Inamdar v. State of Maharashtra, (2005) 6 SCC 537, which mandated to prescribe rules for fixing Non-Resident Indian quota in Private Professional Colleges (PPC), State Government, hereby, makes the following rules, namely:-

RULES

- 1. Short title, commencement and extent.** – (1) These rules may be called the Chhattisgarh Non-Resident Indian Quota in Private Professional Colleges Rules, 2017.
(2) It shall come into force ~~4/7/2017~~ (Date)
(3) It shall extend to the whole of State of Chhattisgarh.
- 2. Applicability.** – These rules shall apply to the all the Private Professional Colleges (PPC) opened after permission by the Department of Health and Family Welfare, Government of Chhattisgarh.
- 3. Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) "**Non-Resident Indian (in short N.R.I.)**" shall have the same meaning as defined/declared in Laws/Rules/Notification/Orders issued by the Central Government;
 - (b) "**Private Professional College (in short P.P.C.)**" means Medical/Dental/ Nursing/ Physiotherapy or by whatever name called, run by a private management/company/trust/body and affiliated to Pt. Deen Dayal Upadhyah Memorial Health Sciences Ayush University, Raipur;
 - (c) "**Reservation Policy**" means the reservation policy of the State Government for Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other-Backward Classes and Women, from time to time.

4. Special provision for admission in private professional college (PPC) of non-resident Indians.-

- (1) Each Private Professional College (PPC) may fill 15% seats of the total seats by Non-Resident Indian (NRI) on basis of their merit amongst NRI category.
- (2) Fraction after calculation shall be rounded off to the next higher numeral in the favor of the concerned Private Professional College (PPC).
- (3) Student admitted against NRI category shall have to pay in foreign currency.
- (4) Each Private Professional College (PPC) shall declare in advance in website and other publicity means to this effect.
- (5) Reservation policy of the State shall also be applicable.
- (6) Each Private Professional College (PPC) shall admit the student in NRI quota before 10 days of the last date of admission, which is closing date for NRI category. After this closing date the seats will be declared empty and shall be converted as open category.

5. Removal of difficulties. - In case any difficulty arises in executing these rules, the matter shall be referred to Director, Medical Education who shall decide the case after approval by Secretary to the Government of Chhattisgarh, Department of Health and Family Welfare. The Decision of Directorate of Medical Education (DME) shall be final and binding.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. TANDAN, Additional Secretary.

दूरभाष/Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स/Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल/E-mail : pgmeb@nmc.org.in

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका, फेस-1, नई दिल्ली-77-
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase - 1, New Delhi-77

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
National Medical Commission
स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड
Post Graduate Medical Education Board (PGMEB)

File No. N-P018(20)/5/2023-PGMEB-NMC

Date:

To,

1. Principal Secretary of Health of all States/UTs
2. The Director, Directorate of Medical Education of all States/UTs/Medical Counselling Authority.

Subject: Online Counselling for NEET PG courses.

Dear Sir/Madam,

As per the Orders of Hon'ble Supreme Court of India in I.A. No. 132614/2022 in WP(C) 267/2017, the Medical Counselling Committee (MCC) of DGHS, Ministry of Health & Family Welfare shall conduct Online Counselling for stray vacancy round for 100% seats in Deemed Universities in UG & PG courses.

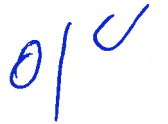
2. All the State Counselling Agencies are requested to make necessary arrangement for conducting the counselling in online mode, for all rounds including stray vacancy round in Private Medical Colleges, from the academic year 2023-24. No College/Institute should conduct the counselling, including the stray vacancy round, in physical mode.
3. It will help in tackling the issue of seat blocking & complaints/court cases related to counselling.
4. This issues with the approval of Competent Authority.

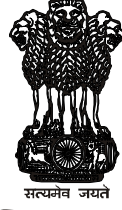
Yours faithfully,



(Aujender Singh)

Deputy Secretary, PGMEB





भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 5, 2018/चैत्र 15, 1940

No. 144]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 5, 2018/CHAITRA 15, 1940

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2018

सं. भा.आ.प.-18(1)/2018-मेड./100818.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” में पुनः संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः:-

1. (i) ये विनियम, “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2018” कहे जाएंगे।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” के “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करना और उनकी मान्यता” शीर्षक के अंतर्गत खंड 6(1), (2) और (3) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(1) कोई स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने या पहले से चल रहे पाठ्यक्रम में वार्षिक प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने का इच्छुक कोई संस्थान, अधिनियम की धारा 10 क के अंतर्गत केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करेगा। स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई पूर्वानुमति क्रमशः चार और तीन शैक्षिक वर्षों के लिए होगी। परंतु यह कि मेडिकल कालेजों/संस्थानों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे मान्यता प्रदान किए जाने के तीन वर्ष अर्थात् भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची में की गई एमबीबीएस शैक्षिक योग्यता के शामिल किए जाने की तारीख से तीन वर्ष के अंदर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए आवेदन करें। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए अनुबद्ध समय के अंदर आवेदन करने में विफल रहने पर, एम बी बी एस शैक्षिक योग्यता की मान्यता वापस लेनी आवश्यक हो जाएगी।

परंतु यह भी कि कोई ऐसे मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान, जो अननुमोदन की स्थिति में कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए आवेदन करने के आगामी वर्षों के लिए दो और अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके पश्चात केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने में विफल रहने पर, एमबीबीएस शैक्षिक योग्यता की मान्यता वापस लेनी आवश्यक हो जाएगी।

परंतु यह भी कि मौजूदा कालेजों को आवेदन करने का समय उपलब्ध कराने की दृष्टि से, उपर्युक्त, शैक्षिक वर्ष 2020-21 से प्रस्तुत की गई योजना पर लागू होगा।

- (2) संस्थान, स्नातकोत्तर चिकित्सा शैक्षिक योग्यता की मान्यता के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय के जरिए केंद्र सरकार को आवेदन करेगा, जब दाखिल किया गया प्रथम बैच, संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बैठने के लिए नियत होगा।

मूल्यांकन में कमियां पाए जाने की स्थिति में संस्थान को, परिषद् द्वारा कमियों के संसूचन की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुपालन प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। कमियों का अनुपालन करने के ऐसे अवसर का लाभ संस्थान द्वारा केवल दो बार लिया जाएगा। अनुपालन के संतोषजनक पाए जाने पर स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा समिति, पाठ्यक्रम को मान्यता देने की अनुशंसा संसूचित करेगी। अन्य सभी मामलों में, उप-खंड (1) के अंतर्गत प्रदान की गई केंद्र सरकार की पूर्वानुमति, स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए क्रमशः चार और तीन वर्षों के पश्चात व्ययगत हुई मानी जाएगी। इसके अलावा, ऐसे मामलों में, केंद्र सरकार से, स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम के केवल प्रथम चार बैचों और स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के तीन बैचों के संबंध में, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची में शैक्षिक योग्यताएं शामिल करने की अनुशंसा की जाएगी।

- (3) उप-खंड 2 में यथा अपेक्षित समय से मान्यता प्राप्त करने में विफल रहने की स्थिति में संबंधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला बंद कर दिया जाएगा।

मौजूदा पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त करने में संस्थान के विफल रहने की स्थिति में, परिषद् केंद्र सरकार से निवारक शास्ति लगाने की अनुशंसा कर सकती है, जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की प्रति सीट दस लाख रुपये और/या संस्थान के अन्य स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के बंद किए जाने और/या किसी विनिदितर अवधि के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने या सीटों में वृद्धि करने के लिए आवेदन करने से संस्थान को विवर्जित करने और/या एमबीबीएस में प्रवेश क्षमता को कम करने तक हो सकती है।”

3. “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” के “सामान्य” शीर्षक के अंतर्गत खंड 8(1) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रारंभण से पहले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यताप्राप्त चिकित्सा संस्थान, आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक (एम बी बी एस) पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यताप्राप्त मेडिकल कालेज और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित चिकित्सा संस्थान, स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम आरंभ करने या पहले से चल रहे किसी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के पात्र होंगे।

परंतु यह कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने के लिए मान्यता प्रदान न किए गए मेडिकल कालेजों के लिए यह अनुमति होगी कि वे तीसरे नवीनीकरण के समय अर्थात् एमबीबीएस पाठ्यक्रम के चौथे बैच के दाखिले के साथ प्रि-नैदानिक और पारा-नैदानिक विषयों नामतः शरीररचना-विज्ञान; शरीरक्रिया-विज्ञान; जीवरसायन; भेषज-विज्ञान; रोग-विज्ञान; सूक्ष्मजीव-विज्ञान; फॉरेंसिक मेडिसिन; और कम्यूनिटी मेडिसिन में और चौथे नवीनीकरण के समय अर्थात् एमबीबीएस पाठ्यक्रम के

लिए पांचवे बैच के दाखिले के साथ नैदानिक विषयों नामतः निश्चेतना संचेतनाहर-विज्ञान; त्वचारोग-विज्ञान; रतिजरोग विज्ञान एवं कुष्ठ रोग; जनरल मेडिसिन; बालरोग; मनश्चिकित्सा; विकिरण निदान; रेडिएशन ऑनकोलोजी; श्वसनी मेडिसिन; नाक-कान-गला रोग-विज्ञान; जनरल सर्जरी; नेत्ररोग-विज्ञान; अस्थि रोग; प्रसूति एवं स्त्रीरोग-विज्ञान में किसी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए आवेदन कर सकें।”

4. “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” में “स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी के चयन की प्रक्रिया” शीर्षक के अंतर्गत विनियम 9 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“प्रस्तावना

1. भारत की संसद ने, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 को संशोधित कर दिया है। राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात यह संशोधन अधिनियम, 5 अगस्त 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में धारा 10 घ और धारा 33 (ड ख) जोड़ दी है। उक्त उपबंध में, “नामित प्राधिकारी” द्वारा स्नातक-पूर्व स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों में एक समान प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था दी गई है। इस संशोधन के बल पर संसद ने, दिनांक 27 दिसंबर, 2010, 27 फरवरी, 2012 और 23 अक्टूबर, 2012 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित संशोधनों द्वारा “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997” में शामिल की गई राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (जिसे इसमें आगे “नीट” कहा गया है) की विधायी पुनीतता का उपबंध किया है।
2. पहले, नीट से संबंधित उपबंध, क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैल्लोर और अन्य [2012 की टीसी (सी) संख्या 98 और 114 अन्य संबंधित याचिकाओं] के मामले में दिनांक 18 जुलाई, 2013 के अपने निर्णय के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् और भारत की संघ सरकार द्वारा दायर की गई एक पुनर्विचार याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने, ‘भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् बनाम क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वैल्लोर और अन्य’ शीर्षक वाली 2013 की पुनर्विचार याचिका (सिविल) संख्या 2059-2268 में दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के अपने आदेश के अंतर्गत नीट विनियमावली को पुनर्जीवित कर दिया। शैक्षिक वर्ष 2017-18 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 के उपबंधों और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्जीवित नीट विनियमावली के आधार पर और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा, स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा है और स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा बनी रहेगी।

9. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:-

- (1) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर सभी चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा नामतः ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ होगी और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र पत्रवेक्षण के अधीन आयोजित की जाएगी।

(2) “राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा” आयोजित करने के लिए ‘नामित प्राधिकारी’ राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित कोई अन्य निकाय/संगठन होगा।

(3) किसी शैक्षिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु पात्र बनने की दृष्टि से किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उक्त शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित की गई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु पात्रता ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ में 50 वें पर्सेंटाइल पर न्यूनतम अंक प्राप्त करे। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम अंक 40 वें पर्सेंटाइल पर होंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बैंच मार्क विकलांगताओं वाले अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम अंक सामान्य श्रेणी के लिए 45 वें पर्सेंटाइल पर और अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.के लिए 40 वें पर्सेंटाइल पर होंगे। पर्सेंटाइल, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ में अखिल भारतीय सामूहिक मेरिट सूची में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

परंतु यह कि जब संबंधित श्रेणियों में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए किसी शैक्षिक वर्ष हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में यथा विनिर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के परामर्श से केंद्र सरकार अपने विवेक पर, संबंधित श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक कम कर सकती है और केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार कम किए अंक केवल उसी शैक्षिक वर्ष के लिए लागू होंगे।

(4) संबंधित श्रेणियों के लिए, मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में सीटों का आरक्षण, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रचलित लागू होने वाले कानूनों के अनुसार होगा। पात्र अभ्यर्थियों की अखिल भारतीय मेरिट सूची और राज्य-वार मेरिट सूची, ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी और अभ्यर्थियों को केवल उक्त मेरिट सूचियों से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिल किया जाएगा।

परंतु यह कि ऐसे अभ्यर्थियों, जो सरकार/लोक प्राधिकरण की सेवा में हैं, की मेरिट निर्धारित करने में, ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ में प्राप्त अंकों के अधिकतम 30% तक, दूर-दराज के और/या दूर्गम क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए, प्राप्त अंकों के 10% तक एक प्रोत्साहन के रूप में सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंकों में भारांश दिया जा सकता है। दूर-दराज के और/या दूर्गम क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र वह होंगे जो समय-समय पर राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किए गए हों।

(5) वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5% सीटें, स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ की मेरिट सूची के आधार पर, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार बैंचमार्क विकलांगताओं वाले व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी।

किसी शैक्षिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु पात्र बनने की दृष्टि से किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उक्त शैक्षिक वर्ष के लिए आयोजित की गई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु पात्रता ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा’ में 50 वें पर्सेंटाइल पर न्यूनतम अंक प्राप्त करे। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में 40 वें पर्सेंटाइल पर न्यूनतम अंक होंगे। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बैंच मार्क विकलांगताओं वाले अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य श्रेणी के लिए न्यूनतम अंक 45 वें पर्सेंटाइल पर और अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.के लिए 40 वें पर्सेंटाइल पर होंगे।

(6) किसी ऐसे अभ्यर्थी, जो ऊपर उप-खंड (3) में यथा विनिर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, को उक्त शैक्षिक वर्ष में किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिल नहीं किया जाएगा।

(7) गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में, कुल सीटों में से 50% (पचास प्रतिशत) सीटें राज्य सरकार या उनके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा भरी जाएंगी और शेष 50% (पचास प्रतिशत) सीटें “राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश-परीक्षा” में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई गई मेरिट सूची के अनुसार संबंधित मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों द्वारा भरी जाएंगी।

(8) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50% सीटें, सरकारी सेवा में ऐसे चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित होंगी, जिन्होंने दूर-दराज के और/या दूर्गम क्षेत्रों और/या ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष तक सेवा की है।

स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात ये चिकित्सा अधिकारी, समय-समय पर राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा परिभाषित दूर-दराज के और/या दूर्गम्य क्षेत्रों में दो और वर्ष तक सेवा करेंगे।

(9) विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित प्राधिकारी, दाखिले की प्रक्रिया ऐसे तरीके से आयोजित करेंगे कि सामान्य विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों में हर वर्ष 1 मई तक और अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों में 1 अगस्त तक अध्यापन आरंभ हो जाए। इस उद्देश्य के लिए वे परिशिष्ट III में दर्शायी गई समय अनुसूची का पालन करेंगे।

(10) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 31 मई के पश्चात और अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों के लिए 31 अगस्त के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी शैक्षिक सत्र के संबंध में छात्रों का कोई दाखिला नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय उक्त तारीखों के पश्चात दाखिल किए गए किसी छात्र का पंजीकरण नहीं करेंगे।

(11) कोई भी प्राधिकारी/संस्थान, इन विनियमों द्वारा यथा विनिर्धारित मापदंड/प्रक्रिया का उल्लंघन करके और/या दाखिलों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का उल्लंघन करके, किसी स्नातकोत्तर मेडिसिन पाठ्यक्रम में किसी अभ्यर्थी को दाखिल नहीं करेगा। उपर्युक्त का उल्लंघन करके दाखिल किए गए किसी अभ्यर्थी को परिषद् द्वारा तुरंत निकाल दिया जाएगा। ऐसे प्राधिकारी/संस्थान, जो इन विनियमों और/या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का उल्लंघन करके किसी छात्र को दाखिला प्रदान करता है, उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकेगी जो परिषद् द्वारा विनिर्धारित की जाए, जिसमें आगामी शैक्षिक वर्ष/वर्षों के लिए उसकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता से, किए गए ऐसे दाखिलों की सीमा के समतुल्य सीटों का अभ्यर्पण शामिल है।”

5. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली में 9 क (3) के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा:-

9 क (4) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सामूहिक परामर्श में सीट ब्लाकिंग और परामर्श के दौरान नया विकल्प चुनने की अनुमति रोकने की दृष्टि से, शुल्क की जब्ती, परिशिष्ट-III में दिए गए मापदंडों के अनुसार होगी।

6. “ स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” में, स्टाफ संकाय शीर्षक के अंतर्गत खंड 11.1 (क) में निम्नलिखित अभिवर्धन किया जाएगा, दूसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

“न्यूनतम अपेक्षित स्टाफ (सामान्य विशेषज्ञता):

(प्रथम इकाई)

1-प्रोफेसर

1-एसोसिएट प्रोफेसर

1-सहायक प्रोफेसर

1-वरिष्ठ रेजीडेंट

2-कनिष्ठ रेजीडेंट

विभाग की बाकी इकाइयों (बहु-इकाई विभागों में) का अध्यक्ष प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है और बाकी दो संकाय सदस्य, एक वरिष्ठ रेजीडेंट तथा दो कनिष्ठ रेजीडेंटों के अलावा सहायक प्रोफेसर हो सकते हैं।

उपर्युक्त परिभाषा, श्वसनी मेडिसिन/त्वचारोग-विज्ञान, रतिजरोग-विज्ञान, कुष्ठ रोग/नेत्ररोग-विज्ञान/नाक कान गला रोग-विज्ञान आदि जैसे दिवा देखभाल सेवाओं वाले विभागों/गंभीर देखभाल वाले विभागों पर लागू नहीं होगी। परिषद् ने स्नातकोत्तर में सभी विभागों में रेजीडेंटों की शर्त शामिल करने का भी निर्णय लिया है।

7. “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” में ‘स्टाफ संकाय’ शीर्षक के अंतर्गत खंड 11.1 (ख) में निम्नलिखित

अभिवर्धन किया जाएगा, तीसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

“न्यूनतम अपेक्षित स्टाफ (अति विशेषज्ञता):

(प्रथम इकाई)

1-प्रोफेसर

1-एसोसिएट प्रोफेसर

1-सहायक प्रोफेसर

1-वरिष्ठ रेजीडेंट

2-कनिष्ठ रेजीडेंट

विभाग की बाकी इकाइयों (बहु-इकाई विभागों में) का अध्यक्ष, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है और बाकी दो संकाय सदस्य, एक वरिष्ठ रेजिडेंट तथा दो कनिष्ठ रेजिडेंटों के अलावा सहायक प्रोफेसर हो सकते हैं।

8. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" के "दाखिल किए जाने वाले स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या" शीर्षक के अंतर्गत खंड 12(1) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा/उसमें निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

दूसरे पैराग्राफ में "रेडियोथेरेपी" शब्द "रेडिएशन ऑनकोलॉजी" के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

तीसरे पैराग्राफ के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

"यह भी कि गैर-सरकारी मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सा संस्थानों में उक्त अनुपात के आधार पर सीटों की वृद्धि के लिए किए गए आवेदनपत्र पर केवल तभी विचार किया जाएगा, यदि उस कॉलेज/संस्थान की-

1. 15 वर्ष की स्टैंडिंग है;
2. वह 10 वर्ष से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाला होना चाहिए;
3. उसे मान्यता के मूल्यांकन की कम से कम एक निरंतरता संतोषजनक ढंग से पूरी कर लेनी चाहिए; और
4. यदि वह सीटों की वृद्धि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 10क के अंतर्गत आवेदन करता है जो केवल संकाय सदस्य, रेजिडेंट, नैदानिक सामग्री और अवसंरचनात्मक सुविधाओं आदि के वास्तविक सत्यापन के पश्चात ही प्रदान की जाएगी।

9. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" के "प्रशिक्षण कार्यक्रम" शीर्षक के अंतर्गत खंड 13(2) की तीसरी पंक्ति में "प्रत्येक शैक्षिक वर्ष" शब्द निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किए जाएंगे:-

"6 महीने की शैक्षिक अवधि"

10. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" के "परीक्षा" शीर्षक के अंतर्गत खंड 14 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"डिग्री की परीक्षाओं के लिए सभी चार प्रश्नपत्रों और डिप्लोमा परीक्षा में तीन प्रश्नपत्रों में सिद्धांत के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40% और संचयी रूप से कम से कम 50% अंक प्राप्त करना। उक्त डिग्री/डिप्लोमा परीक्षा, जैसा भी मामला हो, में कुल मिलाकर, उत्तीर्ण होने के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में परिशिष्ट में, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (सामान्य विशेषज्ञता) के लिए शैक्षिक वर्ष 2018-19 में दाखिला अनुसूची के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाएगी:-

टिप्पणी:-

1. कार्य आरंभ की अंतिम तारीख अर्थात् 10 मई के पश्चात खाली बची अखिल भारतीय कोटा सीटें, राज्य सरकार के कोटे में परिवर्तित मानी जाएगी।
2. 28 फरवरी के पश्चात अनुमत संस्थान/कालेज/पाठ्यक्रमों पर चालू शैक्षिक वर्ष के लिए दाखिले/सीटों के आबंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
3. किसी भी परिस्थितियों में, दाखिले/कार्य आरंभ की अंतिम तारीख, 31 मई के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी।
4. उपर्युक्त समय-सारणी का निष्ठापूर्वक पालन करने के उद्देश्य के लिए शनिवार, रविवार या अवकाशों (राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर) को कार्य दिवस के रूप में माना जाएगा।
5. परामर्श के दौरान नया विकल्प चुनने की छात्रों की अनुमयता के संबंध में निम्नलिखित मापदंड लागू होंगे:

चक्र	निःशुल्क निर्गमन	शुल्क की जव्ती के साथ निर्गमन	आगे परामर्श के लिए अपात्र	पंजीकरण शुल्क की धनराशि
ए.आई.क्यू.// मानित	✓			
ए.आई.क्यू.//मानित		यदि कार्य आरंभ नहीं किया	यदि कार्य आरंभ कर दिया	सरकारी-25,000/- रु. (अ.जा./अ. ज. जा./अ.पि.व. के लिए आधी) मानित 2,00,000/- रुपये
राज्य कोटा I	✓			
राज्य कोटा II		यदि कार्य आरंभ नहीं किया	यदि कार्य आरंभ कर दिया	सरकारी-25,000/- रु. (अ.जा./अ. ज. जा./अ.पि.व. के लिए आधी) प्राइवेट 2,00,000/- रुपये
राज्य कोटा मोप-अप			✓	
मानित मोप-अप			✓	

12. “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” की अनुसूची में, क्रम संख्या 25 पर खंड ‘क’ के अंतर्गत ‘एम डी (रेडियोथेरेपी)’ का नाम बदल कर निम्नलिखित किया जाएगा:-

“एम डी (रेडिएशन ऑनकोलोजी)”

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन III/4/असा./18/17]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली नामतः “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” दिनांक 7 अक्टूबर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 03/03/2001, 06/10/2001, 16/03/2005, 23/03/2006, 20/10/2008, 25/03/2009, 21/07/2009, 17/11/2009, 09/12/2009, 16/04/2010, 08/12/2010, 27/12/2010 09/02/2012, 27/02/2012, 28/03/2012, 17/04/2013, 01/02/2016, 17/06/2016, 08/08/2016, 31/01/2017, 11/03/2017, 06/05/2017, 27/06/2017 और 31/07/2017 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th April, 2018

No. MCI-18(1)/2018-Med./100818.— In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000.” namely:-

1. (i) These regulations may be called the “Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2018”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. Clause 6(1), (2) & (3) under the heading “Starting of postgraduate Medical Courses and their recognition” of the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000”, shall be substituted as under:-

“(1) An institution intending to start a post-graduate medical education course or to increase the annual intake capacity in an already ongoing course shall obtain the prior permission of the Central Government under section 10A of the Act. The prior permission granted by the Central Government for Postgraduate Degree/Postgraduate Diploma courses shall be for four and three academic years respectively. Provided that it shall be incumbent upon Medical Colleges/Medical Institutions to make an application for starting of Post-graduate medical education courses within three years of grant of recognition, i.e., three years from the date of inclusion of the MBBS qualification awarded by the Medical College in the First Schedule of the Indian Medical Council Act, 1956. Failure to make an application for starting of Postgraduate courses within the stipulated time shall entail the withdrawal of recognition of MBBS qualification.

Provided further that a Medical College/Medical Institution that makes an application for starting of a Postgraduate course in the eventuality of disapproval shall be granted two more opportunities for the succeeding years to make an application. Failure to obtain permission of the Central Government thereafter shall entail the withdrawal of Recognition of MBBS qualification.”

Provided further that above shall be applicable to the scheme submitted from the academic year 2020-21 onwards, in order to provide time to the existing colleges to apply.

- (2) The Institution shall apply for recognition of the Post Graduate Medical qualification to the Central Government through the affiliating University, when the first admitted batch shall be due to appear for the examination to be conducted by the affiliating University.

In the event of deficiencies being found in the assessment, the Institution shall be granted an opportunity to submit compliance within 30 days from the date of communication of deficiencies by the Council. Such an opportunity to comply with the deficiencies shall be availed by the Institute only twice. The Postgraduate Medical Education Committee on finding the compliance satisfactory shall convey the recommendation to recognize the course. In all others cases, the prior permission of the Central Government granted under sub-clause (1) shall be deemed to have lapsed after four and three years for Postgraduate Degree/Postgraduate Diploma courses respectively. Further, in such cases; recommendation shall be made to the Central Government to include the qualifications in the First Schedule of the Indian Medical Council Act, 1956 only in respect of first four batches of Postgraduate Degree Courses and three batches of Postgraduate Diploma courses.

- (3) Failure to seek timely recognition as required in sub-clause 2 shall invariably result in stoppage of admission to the concerned Post Graduate course.

In the event of failure of the institute to seek recognition for existing Post Graduate courses, the Council may recommend to the Central Government for imposition of exemplary penalty which may extend to Rupees ten lakhs per seat of the postgraduate course; and/or stoppage of other postgraduate Medical courses of the Institution; and/or debar the Institution from making any application for starting or increase of seats in postgraduate courses for a specified period; and/or reducing the intake capacity in MBBS.”

3. Clause 8(1) under the heading “General” of the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000”, shall be substituted as under:-

“The Medical Institution recognized under the Indian Medical Council Act, 1956 for running post-graduate courses prior to the commencement of the Indian Medical Council (Amendment) Act, 1993; the Medical

Colleges recognised for running Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) course; and the Medical Institutions established by the Central Government for the purpose of imparting postgraduate medical education shall be eligible for starting a post-graduate medical education course or to increase the intake capacity in any already ongoing postgraduate medical education course.

Provided that it shall be permissible for Medical Colleges not yet recognized for the award of MBBS degree under the Indian Medical Council Act, 1956 to apply for starting of a Post-graduate medical education course in pre clinical and para clinical subjects, namely, Anatomy; Physiology; Biochemistry; Pharmacology; Pathology; Microbiology; Forensic Medicine; and Community Medicine at the time of third renewal i.e., alongwith the admission of fourth batch for the MBBS course; and in clinical subjects, namely, Anaesthesiology; Dermatology, Venerology and Leprosy; General Medicine; Paediatrics; Psychiatry; Radio-diagnosis; Radiation Oncology; Respiratory Medicine; Otorhinolaryngology; General Surgery; Ophthalmology; Orthopaedics; Obstetrics & Gynaecology, at the time of fourth renewal, i.e., along with the admission of fifth batch for the MBBS course.”

4. In the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000”, in Regulation 9 under the heading “Procedure for selection of candidate for Postgraduate courses” shall be substituted as under:-

Preamble

1. The Parliament of India has amended the Indian Medical Council Act, 1956 by the Indian Medical Council (Amendment) Act 2016. This Amendment Act after receiving the assent of the President has been notified in the Gazette of India on 5th August 2016. The Indian Medical Council (Amendment) Act 2016 has inserted section 10 D and section 33 (mb) to the Indian Medical Council Act, 1956. The said provision provides for a uniform entrance examination to all medical educational institutions at the under graduate level and post graduate level by the “designated authority”. By virtue of this Amendment the Parliament has provided legislative sanctity to the National Eligibility-Cum-Entrance Test [hereinafter “NEET”] included in the Post-Graduate Medical Education Regulations, 1997 by Amendments notified in the Official Gazette on 27th December 2010, 27th February 2012 and 23rd October 2012.
2. Earlier the provisions relating to NEET were quashed by the Hon’ble Supreme Court vide its judgment dated 18th July 2013 in Christian Medical College Vellore & Ors. (TC (C) No. 98 of 2012 and other 114 connected petitions). However, on a Review Petition preferred by the Medical Council of India and the Union of India, the Hon’ble Supreme Court vide its order dated 11th April 2016 in Review Petition (c) Nos. 2059-2268 of 2013 captioned as Medical Council of India vs. Christian Medical College Vellore & Ors. has revived NEET Regulations. The admission to postgraduate courses for the academic year 2017-18 were conducted on the basis of provisions of the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2016 and the NEET Regulations revived by the Hon’ble Supreme Court and in the Terms of the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2016 the National Eligibility-cum-Entrance Test is the uniform entrance examination to all medical educational institutions at the post graduate level and shall continue to be the uniform entrance examination to all medical educational institutions at the post graduate level.

9. Procedure for selection of candidate for Postgraduate courses shall be as follows:-

- (1) There shall be a uniform entrance examination to all medical educational institutions at the Postgraduate level namely ‘National Eligibility-cum-Entrance Test’ for admission to postgraduate courses in each academic year and shall be conducted under the overall supervision of the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India.
- (2) The “designated authority” to conduct the ‘National Eligibility-cum-Entrance Test’ shall be the National Board of Examination or any other body/organization so designated by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
- (3) In order to be eligible for admission to Postgraduate Course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the ‘National Eligibility-Cum-Entrance Test for Postgraduate courses’ held for the said academic year. However, in respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile. In respect of candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks shall be at 45th percentile for General Category and 40th percentile for SC/ST/OBC. The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the All India Common merit list in National Eligibility-cum-Entrance Test for Postgraduate courses.

Provided when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks as prescribed in National Eligibility-cum-Entrance Test held for any academic year for admission to Postgraduate Courses, the Central Government in consultation with Medical Council of India may at its

discretion lower the minimum marks required for admission to Post Graduate Course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for the academic year only.

- (4) The reservation of seats in Medical Colleges/institutions for respective categories shall be as per applicable laws prevailing in States/Union Territories. An all India merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in National Eligibility-cum-Entrance Test and candidates shall be admitted to Postgraduate Courses from the said merit lists only.

Provided that in determining the merit of candidates who are in service of government/public authority, weightage in the marks may be given by the Government/Competent Authority as an incentive upto 10% of the marks obtained for each year of service in remote and/or difficult areas or Rural areas upto maximum of 30% of the marks obtained in National Eligibility-cum Entrance Test. The remote and/or difficult areas or Rural areas shall be as notified by State Government/Competent authority from time to time.”.

- (5) 5% seats of annual sanctioned intake capacity shall be filled up by persons with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, based on the merit list of National Eligibility-Cum-Entrance Test for admission to Postgraduate Medical Courses.

In order to be eligible for admission to Postgraduate Course for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the ‘National Eligibility-Cum-Entrance Test for Postgraduate courses’ held for the said academic year. However, in respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile. In respect of candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks shall be at 45th percentile for General Category and 40th percentile for SC/ST/OBC.

- (6) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as prescribed in Sub-Clause (3) above shall be admitted to any Postgraduate courses in the said academic year.
- (7) In non-Governmental medical colleges/institutions, 50% (Fifty Percent) of the total seats shall be filled by State Government or the Authority appointed by them, and the remaining 50% (Fifty Percent) of the seats shall be filled by the concerned medical colleges/institutions on the basis of the merit list prepared as per the marks obtained in National Eligibility-cum-Entrance Test.”
- (8) 50% of the seats in Postgraduate Diploma Courses shall be reserved for Medical Officers in the Government service, who have served for at least three years in remote and /or difficult areas and / or Rural areas. After acquiring the Postgraduate Diploma, the Medical Officers shall serve for two more years in remote and /or difficult areas and / or Rural areas as defined by State Government/Competent authority from time to time.
- (9) The Universities and other authorities concerned shall organize admission process in such a way that teaching in broad speciality postgraduate courses starts by 1st May and for super speciality courses by 1st August each year. For this purpose, they shall follow the time schedule indicated in Appendix-III.
- (10) There shall be no admission of students in respect of any academic session beyond 31st May for postgraduate courses and 31st August for super speciality courses under any circumstances. The Universities shall not register any student admitted beyond the said date.
- (11) No authority / institution shall admit any candidate to any postgraduate medicine course in contravention of the criteria / procedure as laid down by these Regulations and / or in violation of the judgements passed by the Hon’ble Supreme Court in respect of admissions. Any candidate admitted in contravention / violation of aforesaid shall be discharged by the Council forthwith. The authority / institution which grants admission to any student in contravention / violation of the Regulations and / or the judgements passed by the Hon’ble Supreme Court, shall also be liable to face such action as may be prescribed by the Council, including surrender of seats equivalent to the extent of such admission made from its sanctioned intake capacity for the succeeding academic year / years.”.

5. In the Postgraduate Medical Education Regulations following clause shall be added after 9A(3):-

9A(4) In order to prevent seat blocking in common counseling for admission to Postgraduate Courses and permissibility to exercise fresh choice during Counseling, forfeiture of fee shall be in accordance with the matrix contained in appendix-III.

6. In the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000”, the following additions in clause 11.1(a) under the heading Staff – Faculty, the following shall be added after the second proviso:

Minimum staff required (Broad speciality):

(First Unit)

1-Professor

1-Associate Professor

1- Assistant Professor

1-Senior Resident

2-Junior Resident

Remaining units of the department (in multi unit departments) can be headed by Professor or Associate Professor and remaining two faculties can be Assistant Professor in addition to one Senior Resident and two Junior Resident.

The above definition shall not apply to the Departments of Critical Care/Departments with day care services such as Respiratory Medicine/ Dermatology Venereology Leprosy/Ophthalmology/Otorhinolaryngology etc. The Council also decided to include the requirement of Residents in all departments in the Postgraduate..

7. In the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000”, the following additions in clause 11.1(b) under the heading Staff – Faculty, the following shall be added after the third proviso:

Minimum staff required (Super-speciality):

(First Unit)

1-Professor

1-Associate Professor.

1- Assistant Professor

1-Senior Resident

2-Junior Resident

Remaining units of the department (in multi-unit departments) can be headed by Professor or Associate Professor and remaining two faculties can be Assistant Professor in addition to one Senior Resident and two Junior Resident.

8. Clause 12(1) under the heading “Number of Postgraduate students to be admitted ” of the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000”, following shall be substituted/added:-

The word Radiotherapy shall be substituted as “Radiation Oncology” in 2nd paragraph

After Third paragraph following shall be added:-

Provided further that in non-governmental Medical Colleges/Medical Institution, the application for increase of seats on the basis of said ratio shall be considered only if the College/Institute:-

1. Has a standing of 15 years
2. Should be running the Postgraduate course since 10 years
3. Should have completed atleast 1 continuance of recognition assessment satisfactorily and
4. Applies u/s 10A of the Indian Medical Council Act, 1956 for increase of seats which would be granted only after physical verification of faculty, resident, clinical material and infrastructural facilities etc.

9. Clause 13(2) under the heading “TRAINING PROGRAMME” of the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000”, in third line “each academic year” shall be substituted as under:-

“Academic Term of 6 months”

10. Clause 14 under the heading “EXAMINATION” of the “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000”, following shall be substituted as under:-

Obtaining a minimum of 40% marks in each theory paper and not less than 50% cumulatively in all the four papers for degree examinations and three papers in diploma examination. Obtaining of 50% marks in Practical examination shall be mandatory for passing the examination as a whole in the said degree/diploma examination as the case may be.

11. In the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000, in appendix the following note shall be added below the Admission schedule from the academic year 2018-19 onwards for Postgraduate Courses (broad Speciality):-

Note:

1. All India Quota Seats remaining vacant after last date for joining, i.e 10th May will be deemed to be converted into State Quota.
2. Institute/College/Courses permitted after 28th February will not be considered for admission/allotment of seats for current academic year.
3. In any circumstances, last date for admission/joining will not be extended after 31st May.
4. For the purpose of ensuring faithful obedience to the above time-schedule, Saturday, Sunday or Holidays (except National Holiday) shall be treated as working day.
5. The following Matrix shall be applicable with regard to permissibility to students to exercise fresh choice during counseling: -

Round	Free Exit	Exit with forfeiture of fees	Ineligible for further counselling	Amount of registration fee
AIQ I/Deemed	✓			
AIQ II / Deemed		If not joined	If joined	Government – Rs. 25,000 (half for SC/ST/OBC) Deemed – Rs. 2,00,000
State Quota I	✓			
State Quota II		If not joined	If joined	Government – Rs. 25,000 (half for SC/ST/OBC) Private – Rs. 2,00,000
State Quota Mop- Up			✓	
Deemed Mop-Up			✓	

12. In Schedule of the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000, under Clause “A” at Sl.No. 25, the nomenclature of “MD(Radio-Therapy)” is changed to

“MD (Radiation Oncology)”.

Dr. REENA NAYYAR, Secy. (I/c)
[ADVT. III/4/Exty./18/17]

Footnote: The Principal Regulations namely, “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 7th Oct., 2000 and amended *vide* Medical Council of India Notification dated 03/03/2001; 06/10/2001; 16/03/2005; 23/03/2006; 20/10/2008; 25/03/2009; 21/07/2009; 17/11/2009; 09/12/2009; 16/04/2010; 08/12/2010; 27/12/2010; 09/02/2012; 27/02/2012; 28/03/2012; 17/04/2013; 01/02/2016; 17/06/2016; 08/08/2016; 31/01/2017; 11/03/2017; 06/05/2017; 27/06/2017 and 31/07/2017